00-233

सत्यमेव जयते

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

Employees Provident Fund Organisation

(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)

(MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA)

मुख्य कार्यालय/Head Office

प्लेट ए, ग्राउंडफ्लोर, ब्लॉक-II, ईस्ट किदवई नगर, नई दिल्ली-110023

Plate A, Ground Floor, Block II, East Kidwai Nagar, New Delhi-110023

Website: www.epfindia.gov.in, www.epfindia.nic.in

सं. एनडीसी/वीई4-ईएसटीटी/1807/ईसीआर फिलिंग/2026/ई-1239468/ 15157 दिनांक: 22.01.2026

<u>परिपत्र</u>

विषय: वेतन माह दिसंबर, 2025 के लिए इलेक्ट्रॉनिक चालान-सह-रिटर्न (ईसीआर) दाखिल करने की देय तिथि के विस्तार - के संबंध में।

रिटर्न जमा करने की देय तिथि के विस्तार के संबंध में, दिनांक 15.01.2026 के परिपत्र के अनुक्रम में, एवं रिटर्न दाखिल करने में लगातार आ रही तकनीकी कठिनाइयों को देखते हुए, सक्षम प्राधिकारी द्वारा वेतन माह दिसंबर, 2025 के लिए ईसीआर जमा करने की नियत तिथि को दो (02) दिनों की अवधि अर्थात् दिनांक 22.01.2026 तक के लिए और आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

यह दोहराया जाता है कि यह विस्तार नियोक्ताओं को रिटर्न दाखिल करने के लिए अनुग्रह अवधि के रूप में एक विशेष उपाय के तौर पर दिया जा रहा है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि विस्तारित देय तिथि के भीतर किए गए भुगतान और ईसीआर के लिए कोई ब्याज या क्षति नहीं लगाई जाएगी। हालांकि, जब दिनांक 23 जनवरी 2026 को अतिरिक्त समय सीमा समाप्त हो जाएगी, तो चूक 15 तारीख से अर्थात आठ दिनों के लिए गिनी जाएगी।

(के.भ.नि.आ. के अनुमोदन से जारी)

(पी.बी.वर्मा)
अपर के.भ.नि. आयुक्त (अनुपालन)

सेवा में,

सभी अपर के.भ.नि.आयुक्त (मुख्यालय) / अपर के.भ.नि.आयुक्त(अंचल),
सभी क्षे.भ.नि.आयुक्त -I/ क्षे.भ.नि.आयुक्त -II/सहायक भविष्य निधि आयुक्त प्रभारी अधिकारी

प्रतिलिपि:

1. कें.भ.नि.आयुक्त के निजी सचिव।
2. वि.सला.एवं.मु.ले.अ के निजी सचिव।
3. क.भ.नि.सं. वेबसाइट पर परिचालित करने के लिए वेब-एडमिन।